न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र 14(4) : 07/2016
दायर दिनांकः 26.09.2016
निर्णय दिनांक 31.10.2025

:: अनवान ::

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजसामन्द

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री डालु पि. नाथु भील
2. श्रीमती बदामी पि. नाथु भील
3. श्रीमती सोहनी पि. नाथु भील

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के क्रम में।

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी, उपस्थित

2— श्री प्रवीण मण्डोवरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 उपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन) नियमन 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छापरखेडी तहसील राजसमन्द के खसरा नं. 383 रकबा 1—10 बीघा किस्म बारानी 3 लगान 0.90 डालु पि. नाथु 1/2 डालु बदामी सोहनी पि. नाथु 1/2 भील सा. देह गैर खातेदार हक से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि श्रीमान् सब डिवीजनल ऑफिसर महोदय राजसमन्द द्वारा जरिये मिसल नं. 259 दिनांक 30.10.1977 को कृषि प्रयोजनार्थ नाथु पिता कुशाल भील निवासी छापरखेडी के नाम पर आवंटन की गई। आवंटन आदेश की पालना ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण ग्राम छापरखेडी ना.सं. 67 दर्ज किया गया, आवंटित भूमि पर आ. नं. 383 पर गैर खातेदारान का कब्जा नहीं है, न ही मौके पर काश्त की गई है, मौके पर पसून्द—तासोल पक्की सीमेंट रोड बनी हुई है, आवंटी व उसके वारिसान ने वक्त आवंटन से बर्तमान तक आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। उक्त आवंटित भूमि सडक प्रयोजनार्थ सार्वजनिक उपयोग में आ रहीं है। अतः निवेदन है कि ग्राम छापरखेडी तहसील राजसमन्द के खसरा सं. 383 रकबा 1—10 बीघा का विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण मण्डोवरा ने वकालतानामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि विपक्षीगण के पिता श्री नाथु पिता श्री कुशाल भील निवासी छापरखेडी को आवंटन किया जाना स्वीकार है। वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के समय से ही विपक्षीगण व उनके पुर्वाधिकारीयो का कब्जा रहा है। मौके पर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी श्री नाथु पिता कुशाल व उनके देहान्त के पश्चात विपक्षीगण संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे है। मौक पर वादग्रस्त आराजी संख्या 383 में कोई सडक बनी हुई नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया पर्चा मौका अवैध एव गलत होकर मात्र राजनैतिक दबाव में विपक्षीगण की भूमि को हडपने की नियत से बनाया गया है तथा प्रस्तुत गिरदावरी भी इसी प्रकार तैयार की गई है वास्तव में मौके पर कभी भी गिरदावरी करने हेतु सर्वे ही नही किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के समय से ही विपक्षीगण व उनके पुर्वाधिकारीयो का कब्जा रहा है। मौके पर विपक्षीगण के पुर्वाधिकारी श्री नाथु पिता कुशाल व उनके देहान्त के पश्चात विपक्षीगण संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे है। इस प्रकार विपक्षीगणो द्वारा समस्त शर्तो की पालना की जाती रही है। वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के समय से ही विपक्षीगण व उनके पुर्वाधिकारीयो का कब्जा रहा है। मौके पर विपक्षीगण के पुर्वाधिकारी श्री नाथु पिता कुशाल व उनके देहान्त के पश्चात विपक्षीगण संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे है। विपक्षीगण अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होकर वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि के पसुन्द तासोल रोड के किनारे पर स्थित होने से भूमि की किमत बढ़ जाने के कारण उक्त भूमि पर श्री उत्तम कावडीया जो की वर्तमान में नगर परिषद राजसमन्द का पार्षद होकर उक्त उत्तम कावडीया ने विपक्षीगण के हक आधिपत्य एवं कब्जेशुदा वादग्रस्त भूमि पर मार्बल का मलबा एवं पत्थर डाल कर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया तथा उक्त मार्बल का मलबा एवं पत्थर डाल कर वादग्रस्त भूमि पर खडी फसल को बर्बाद कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में विपक्षीगण द्वारा एक वाद एवं प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर राजसमन्द के यहां प्रस्तुत किया गया जिसके मुकदमा नम्बर 75/2016 होकर इस प्रकरण से साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 144/2016 है। उक्त दोनो प्रकरण को दिनांक 30/06/2016 को ग्राम पंचायत तासोल में लगने वाले राजस्व केम्प में रखा गया तथा न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार कुंवारीया को मौका कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपार्ट मंगवाई गई जिस पर मौका कमीश्नर नायब तहसीलदार कुंवारीया द्वारा मौके पर नपती कर मौके पर नायब तहसीलदार द्वारा यह रिपोर्ट दी गई कि मौके पर सिमा चिन्ह सही नहीं होने के कारण वादग्रस्त भूमि का सिमांकन किया जाना सम्भव नहीं है। इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा उसी दिनांक को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विपक्षीगण के उक्त वाद को न्यायालय सहायक कलेक्टर राजसमन्द ने खारीज कर दिया जिसकी अपील पिवक्षीगण ने राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहां की जिसके अपील नम्बर 23/2016 होकर उक्त अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 05/07/2017 को निर्णित की जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमान्ड कर दी गई है कि प्रकरण में भू प्रबन्ध विभाग से सीमा जानकारी कराई जाकर विधिक प्रक्रिया का अनुसरण कर निर्णय पारित किया जावे। राजनैतीक दबाव में विपक्षीगणो को नुकसान पंहुचाने की नियत से प्रस्तुत किया है। न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा वाद का निस्तारण करने के पश्चात तथा अपील न्यायालय के स्थगन के बावजूद भी उक्त उत्तम कावडीया ने विपक्षीगण की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तथा

न्यायालय जिला कलेक्टर राजसमन्द (राज.)

तहसीलदार राजसमन्द से मिल कर एवं राजनैतीक दबाव डलवाकर अवैध रूप से यह प्रार्थना पत्र विपक्षीगण की भूमि का सडक में जाना बता कर प्रस्तुत करवा दी है जो चलने योग्य नहीं है। इसके अलावा विपक्षीगण द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी उक्त उत्तम कावडीया के विरूद्व पुलिस थाना केलवा में दर्ज कराई गई है जिसके प्रथम सूचना संख्या 135/2016 होकर उक्त प्रकरण में भी राजनैतीक दबाव में पुलिस ने अवैध व फर्जी तरीके से अन्तीम प्रतीवेदन प्रस्तुत कर दिया जिसकी कार्यवाही श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय राजसमन्द के यहां लम्बित है। इस प्रकार विपक्षीगण की उक्त भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट कर भूमि पर उक्त उत्तम कावडीया द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है तथा तहसीलदार राजसमन्द द्वारा उक्त उत्तम कावडीया से मिली भगत कर एवं राजनैतीक दबाव में अवैध रूप से यह प्रार्थना पत्र विपक्षीगण की भूमि का सडक में जाना बता कर प्रस्तुत कर रखी है जबकी वास्तव में विपक्षीगण की उक्त भूमि सडक की भूमि से अलग है। जिसे भूप्रबन्ध विभाग के माध्यम से तकनिकी तरीके से नपवा कर का सिमांकन कराया जाकर वास्तविकता को रिकार्ड पर वादग्रस्त भूमि का लाया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम छापरखेडी तहसील राजसमन्द के खसरा नं. 383 रकबा 1–10 बीघा किस्म बारानी 3 लगान 0.90 डालु पि. नाथु 1/2 डालु बदामी सोहनी पि. नाथु 1/2 भील सा. देह गैर खातेदार हक से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि श्रीमान् सब डिवीजनल ऑफिसर महोदय राजसमन्द द्वारा जरिये मिसल नं. 259 दिनांक 30.10.1977 को कृषि प्रयोजनार्थ नाथु पिता कुशाल भील निवासी छापरखेडी के नाम पर आवंटन की गई। आवंटन आदेश की पालना ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण ग्राम छापरखेडी ना.सं. 67 दर्ज किया गया, आवंटित भूमि पर आ. नं. 383 पर गैर खातेदारान का कब्जा नहीं है, न ही मौके पर काश्त की गई है, मौके पर पसून्द–तासोल पक्की सीमेंट रोड बनी हुई है, आवंटी व उसके वारिसान ने वक्त आवंटन से वर्तमान तक आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। उक्त आवंटित भूमि सडक प्रयोजनार्थ सार्वजनिक उपयोग में आ रहीं है। अतः निवेदन है कि ग्राम छापरखेडी तहसील राजसमन्द के खसरा सं. 383 रकबा 1–10 बीघा का विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों दोहराते हुए कथन किया कि भूमि विपक्षीगण के पिता श्री नाथु पिता श्री कुशाल भील निवासी छापरखेडी को आवंटन किया जाना स्वीकार है। वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के समय से ही विपक्षीगण व उनके पुर्वाधिकारीयो का कब्जा रहा है। मौके पर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी श्री नाथु पिता कुशाल व उनके देहान्त के पश्चात विपक्षीगण संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे है। मौक पर वादग्रस्त आराजी संख्या 383 में कोई सडक बनी हुई नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया पर्चा मौका अवैध एव गलत होकर मात्र राजनैतिक दबाव में विपक्षीगण की भूमि को हडपने की नियत से बनाया गया है तथा प्रस्तुत गिरदावरी भी इसी प्रकार तैयार की गई है वास्तव में मौके पर कभी भी गिरदावरी करने हेतु सर्वे ही नही किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के समय से ही विपक्षीगण व उनके पुर्वाधिकारीयो का कब्जा रहा है। मौके पर विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी श्री नाथु पिता कुशाल व उनके देहान्त के पश्चात विपक्षीगण संयुक्त रूप से

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे है। इस प्रकार विपक्षीगणो द्वारा समस्त शर्तों की पालना की जाती रही है। वादग्रस्त भूमि पर आवन्टन के समय से ही विपक्षीगण व उनके पुर्वाधिकारीयो का कब्जा रहा है। विपक्षीगण अनुसूचित जन जाती के व्यक्ति होकर वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि के पसुन्द तासोल रोड के किनारे पर स्थित होने से भूमि की किमत बढ जाने के कारण उक्त भूमि पर श्री उत्तम कावडीया जो की वर्तमान में नगर परिषद राजसमन्द का पार्षद होकर उक्त उत्तम कावडीया ने विपक्षीगण के हक आधिपत्य एवं कब्जेशुदा वादग्रस्त भूमि पर मार्बल का मलबा एवं पत्थर डाल कर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया तथा उक्त मार्बल का मलबा एवं पत्थर डाल कर वादग्रस्त भूमि पर खडी फसल को बर्बाद कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में विपक्षीगण द्वारा एक वाद एवं प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर राजसमन्द के यहां प्रस्तुत किया गया जिसके मुकदमा नम्बर 75/2016 होकर इस प्रकरण से साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 144/2016 है। उक्त दोनो प्रकरण को दिनांक 30/06/2016 को ग्राम पंचायत तासोल में लगने वाले राजस्व केम्प में रखा गया तथा न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार कुंवारीया को मौका कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपार्ट मंगवाई गई जिस पर मौका कमीश्नर नायब तहसीलदार कुंवारीया द्वारा मौके पर नपती कर मौके पर नायब तहसीलदार द्वारा यह रिपोर्ट दी गई कि मौके पर सिमा चिन्ह सही नहीं होने के कारण वादग्रस्त भूमि का सिमांकन किया जाना सम्भव नहीं है। इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा उसी दिनांक को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विपक्षीगण के उक्त वाद को न्यायालय सहायक कलेक्टर राजसमन्द ने खारीज कर दिया जिसकी अपील पिवक्षीगण ने राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहां की जिसके अपील नम्बर 23/2016 होकर उक्त अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 05/07/2017 को निर्णित की जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमान्ड कर दी गई है कि प्रकरण में भू प्रबन्ध विभाग से सीमा जानकारी कराई जाकर विधिक प्रक्रिया का अनुसरण कर निर्णय पारित किया जावे। विपक्षीगण की उक्त भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट कर भूमि पर उक्त उत्तम कावडीया द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है तथा तहसीलदार राजसमन्द द्वारा उक्त उत्तम कावडीया से मिली भगत कर एवं राजनैतीक दबाव में अवैध रूप से यह प्रार्थना पत्र विपक्षीगण की भूमि का सडक में जाना बता कर प्रस्तुत कर रखी है जबकी वास्तव में विपक्षीगण की उक्त भूमि सडक की भूमि से अलग है। जिसे भूप्रबन्ध विभाग के माध्यम से तकनिकी तरीके से नपवा कर का सिमांकन कराया जाकर वास्तविकता को रिकार्ड पर वादग्रस्त भूमि का लाया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिनस्थ कार्यालय की मूल आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के उप नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित भूमि को ठीक प्रकार से काश्त एवं उपयोग करना होगा। अप्रार्थीगण को यह भुमि दिनांक 30.10.1977 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया जाना पत्रावली से जाहिर हुआ है तथा यह 14(4) का प्रार्थना पत्र आंवटन के लगभग 40 वर्ष पश्चात् तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.09.2016 को प्रस्तुत किया गया है तथा पत्रावली में सलंग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 135/2016

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जो कि दिनांक 14.07.2016 को अप्रार्थी श्री डालु द्वारा दायर की गई है इस एफआईआर में अप्रार्थी डालु ने यह अवगत कराया कि श्री उत्तम पिता श्री भंवर लाल कावड़िया, भंवरलाल पिता श्री मांगु उर्फ मांगी लाल ने इनके कब्जेशूदा भूमि आराजी संख्या 383 रकबा 01 बीघा 10 बीस्वा पर कब्जा करने की नियत से जेसीबी चलाकर और बाउड्रीवाल का निर्माण किया और इनकी चहारदीवारी गिरवा दी। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट को दायर किये जाने के 02 माह पश्चात् तहसीलदार राजसमन्द द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है अर्थात पत्रावली से यह स्पष्ट है कि इस विवाद का प्रारंभ अप्रार्थीगण के पडौसी श्री कावडिया द्वारा कब्जा करने से प्रारंभ हुआ है अप्रार्थीगण की भूमि सडक के पास लगती है तथा इसकी भूमि के पश्चात् श्री कावडिया की भूमि रिकोर्डनुसार होना जाहिर पाई गई है थानाधिकारी की जो रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है वह इस तथ्य को स्पष्ट करती है अर्थात इस पूरे प्रकरण को देखने पर यह जाहिर हुआ है कि श्रीमति संगीता पत्नि श्री उत्तम कावडिया जिसके आराजी संख्या 381/1, 381/2,381/7 तथा 381/8 पर एक पुरानी कच्ची दिवार भी बनी थी तथा इस दीवार को तोड कर उनके द्वारा अप्रार्थीगण की आराजी मे घुसकर फिर दिवार बनाई गई। चुंकि अप्रार्थीगण की जमीन सडक के नजदीक है जो पसुन्द तासोल वाली आम सडक के नजदीक है श्री कावडिया की जमीन तथा आम सडक के मध्य अप्रार्थीगण की जमीन स्थित है तथा उस पर कब्जा किये जाने का प्रयास जाहिर होता है तथा इस प्रयास के पश्चात तहसीलदार द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह भी उचित नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि वह अप्रार्थीगण को आंवटित खसरा संख्या 383 का पूर्ण माप करें और उसमें कितनी भूमि पर पसुन्द तासोल की सडक बनी हुई है तथा कितनी भूमि शेष है साथ ही उसको आंवटन वर्ष 1977 के पश्चात हुआ है तो वह वर्ष 1977 के बाद की 20 साल की खसरा गिरदावरी का अध्ययन करे। फिर उसमें काश्त व इन सभी स्थितियों के आधार पर वह रिपोर्ट प्रस्तुत करें और उसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध आवंटन निरस्त किए जाने का मामला बनता है तो वह पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा। तहसीलदार राजसमन्द को निर्णय की प्रति भिजवायी जावे तथा उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को मूल आवंटन पत्रावली लौटायी जावे।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद